From

Director General Higher Education, Haryana,
Shiksha Sadan, Sector-5, Panchkula.

To

a) All the Deputy Commissioners in the State of Haryana
b) All the Superintendent of Police in the State of Haryana
c) All the District Municipal Commissioner in the State of Haryana
d) All the District Higher Education Officer in the State of Haryana
e) All the District Education Officer in the State of Haryana

Memo No. DHE-170008/37/2023-NPE (1) Part (1)
Dated: Panchkula, the

Subject: - Regarding "THE HARYANA PRIVATE COACHING INSTITUTES REGISTRATION AND REGULATION RULES, 2026".

*****

Kindly refer to the subject cited as above.

I have been directed to inform you that in exercise of provisions contained in section 16 (1) of **"THE HARYANA REGISTRATION AND REGULATION OF PRIVATE COACHING INSTITUTES ACT, 2024 (12 of 2024),** Rules have been framed namely **"THE HARYANA PRIVATE COACHING INSTITUTES REGISTRATION AND REGULATION RULES, 2026"** which has been published in Haryana Government Gazatte on 24.08.2026.

Further, directed to forward you, a copy of the above cited rules for further necessary action accordingly and requested to send the Action Taken Report to the Directorate of Higher Education, Haryana.

Encls:- As above

Sd-

Deputy Superintendent NPE
for Director General Higher Education
Haryana, Panchkula

Endst No.:- Even

Dated:-

A copy of above cited Rules is forwarded to the following Appellate Authority:-

(i) Director/Director General, as the case may be, Higher Education Department- Chairperson
(ii) Chief Accounts Officer, Higher Education Department - Member;
(iii) District Attorney, Higher Education Department - Member; and
(iv) Additional Director or Joint Director, as the case may be, Higher Education Department - Member-Secretary.

Sd-

Deputy Superintendent NPE
for Director General Higher Education
Haryana, Panchkula

Endst No.:- Even

Dated:- 8/9/2026

A copy of above cited Rules is forwarded to I.T. Cell (Local) with the request to upload the same on official website of the Department of Higher Education Haryana.

Deputy Superintendent NPE
for Director General Higher Education
Haryana, Panchkula

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 129-2026/Ext.] चण्डीगढ़, सोमवार, दिनांक 24 अगस्त, 2026
(2 भाद्रपद, 1948 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग–I	**अधिनियम**	
	कुछ नहीं	
भाग–II	**अध्यादेश**	
	कुछ नहीं	
भाग–III	**प्रत्यायोजित विधान**	
	अधिसूचना संख्या का० आ० 44 / ह० अ० 12 / 2024 / धा० 16 / 2026, दिनांक 24 अगस्त, 2026– हरियाणा निजी कोचिंग संस्थान (पंजीकरण और विनियमन) नियम, 2026.	309—323
भाग–IV	**शुद्धि पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन**	
	कुछ नहीं	

भाग—III

हरियाणा सरकार

उच्चतर शिक्षा विभाग

अधिसूचना

दिनांक 24 अगस्त, 2026

संख्या का० आ० 44/ह० अ० 12/2024/धा० 16/2026.— हरियाणा निजी कोचिंग संस्थानों का पंजीकरण और विनियमन अधिनियम, 2024, (2024 का 12) की धारा 16 की उप–धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) ये नियम हरियाणा निजी कोचिंग संस्थान (पंजीकरण और विनियमन) नियम, 2026 कहे जा सकते हैं। संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. (1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— परिभाषाएं।

(क) ''अधिनियम'' से अभिप्राय है, हरियाणा निजी कोचिंग संस्थानों का पंजीकरण और विनियमन अधिनियम, 2024 (2024 का 12)।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में उन्हें दिए गए हैं।

3. (1) अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व या पश्चात्वर्ती स्थापित प्रत्येक निजी कोचिंग संस्थान तथा नया कोचिंग संस्थान स्थापित करने के लिए आशयित कोई निजी कोचिंग संस्थान, इलेक्ट्रॉनिक ढंग द्वारा भुगतान योग्य दस हजार रुपए की पंजीकरण फीस के साथ प्ररूप 1 (भाग–I तथा भाग–II) में संबंधित जिला प्राधिकरण को अभिहित पोर्टल पर आवेदन करेगा। पंजीकरण प्रमाणपत्र। धारा 5.

(2) उप–नियम (1) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर, संबंधित जिला प्राधिकरण तीस दिन की अवधि के भीतर आवेदन की संवीक्षा करेगा। यदि आवेदन अपूर्ण पाया जाता है, तो संबंधित जिला प्राधिकरण लिखित में ऐसी त्रुटियों के बारे में निजी कोचिंग संस्थान को दस दिन की अवधि के भीतर त्रुटियों को दूर करने का निदेश देते हुए सूचना देगा।

(3) यदि संबंधित जिला प्राधिकरण सभी प्रकार से आवेदन को पूर्ण पाता है, तो यह निजी कोचिंग संस्थान को पंजीकृत करेगा और निजी कोचिंग संस्थान को प्ररूप 2 में पंजीकरण प्रमाण–पत्र जारी करेगा, जो तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा।

4. (1) प्रत्येक कोचिंग संस्थान इलेक्ट्रॉनिक ढंग द्वारा भुगतान योग्य पांच हजार रुपए की नवीनीकरण फीस के साथ प्ररूप I में पंजीकरण प्रमाण–पत्र की समाप्ति से एक मास पूर्व संबंधित जिला प्राधिकरण को अभिहित पोर्टल पर पंजीकरण प्रमाण–पत्र के नवीनीकरण के लिए आवेदन करेगा। पंजीकरण प्रमाण–पत्र का नवीनीकरण। धारा 7 (5).

(2) उप–नियम (1) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर, संबंधित जिला प्राधिकरण दस दिन के भीतर आवेदन की संवीक्षा करेगा। यदि आवेदन को अपूर्ण पाया जाता है, तो संबंधित जिला प्राधिकरण लिखित में ऐसी त्रुटि के बारे में निजी कोचिंग संस्थान को दस दिन की अवधि के भीतर कमियों को दूर करने का निदेश देते हुए सूचना देगा और यदि निजी कोचिंग संस्थान नियत अवधि के भीतर आवेदन को पूर्ण नहीं करता है या त्रुटियों को दूर करने में असफल रहता है, जैसी भी स्थिति हो, तो आवेदन रद्द कर दिया जाएगा:

परन्तु कोई भी आवेदन, आवेदक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना रद्द नहीं किया जाएगा।

(3) यदि संबंधित जिला प्राधिकरण संतुष्ट है कि आवेदन सभी प्रकार से पूर्ण है, तो यह आवेदन की प्राप्ति की तिथि से एक मास के भीतर निजी कोचिंग संस्थान को प्ररूप 3 में पंजीकरण का नवीनीकरण प्रमाण–पत्र जारी करेगा, जो एक वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा।

5. अधिनियम के अधीन पंजीकृत प्रत्येक निजी कोचिंग संस्थान, प्ररूप 4 में अभिलेखों का रख–रखाव करेगा और उसे अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करेगा तथा प्रत्येक वर्ष संबंधित जिला प्राधिकरण को इस संबंध में अपेक्षित सूचना प्रस्तुत करेगा। प्रत्येक निजी कोचिंग संस्थान, समय–समय पर संबंधित जिला प्राधिकरण द्वारा यथा अपेक्षित ऐसी अन्य सूचना प्रस्तुत करने के लिए भी बाध्य होगा। अभिलेखों का रखरखाव।

प्ररूप I

[देखिए नियम 3(1) तथा 4 (1)]

भाग 1

निजी कोचिंग संस्थानों के पंजीकरण और नवीनीकरण के लिए आवेदन

नया पंजीकरण ☐ पंजीकरण का नवीनीकरण ☐

(सुसंगत खाने में √ निशान लगाएं)

स्वत्वधारी का सत्यापित पासपोर्ट आकार का फोटो

(क) मूलभूत जानकारी		
1	कोचिंग संस्थान का नाम	
2	कोचिंग संस्थान का पता तहसील/ जिला/पिनकोड	
3	कोचिंग संस्थान की संपर्क संख्या	
4	संस्थान का ईमेल	
5	स्वत्वधारी का नाम और पता	
6	स्वत्वधारी की संपर्क संख्या	
7	पाठ्यक्रमों/पाठ्यचर्चा का विवरण	
8	कमरों की संख्या और क्षमता	
9	संस्थान की स्थापना तिथि (कृपया वास्तविक वर्ष का उल्लेख करें, यदि इस अधिनियम के आरम्भ होने से पहले स्थापित किया गया हो।)	
(ख) निजी कोचिंग संस्थान के पंजीकरण के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित जानकारी प्रदान की जाएगीः		
10	विभिन्न पाठ्यचर्या या उसके भाग का उल्लेख करने वाली विवरणिका की प्रति, पाठ्यक्रम पूरा करने की अवधि, ट्यूशन शुल्क, शुल्क वापसी, आसान निकासी और व्याख्यानों की संख्या, ट्यूटोरियल, समूहचर्चा, परीक्षण कार्यक्रम इत्यादि सहित सभी प्रकार के फीस का विवरण;	कृपया प्ररूप के रूप में संलग्न करें।
11	प्रत्येक बैच के लिए अधिकतम छात्रों की संख्या	कृपया अनुबन्ध संलग्न करें।
12	शिक्षकों की शैक्षणिक अर्हताएं और बायोडेटा	कृपया अनुबन्ध संलग्न करें।
13	परामर्शदाता का बायोडेटा और	कृपया अनुबन्ध संलग्न करें।

14	गैर अध्यापन अमले की शैक्षणिक अर्हताएं और बायोडेटा	कृपया अनुबन्ध संलग्न करें।
15	छात्रों की संख्या के अनुपात के साथ कोचिंग क्षेत्र का विवरण	कृपया अनुबन्ध संलग्न करें।
(ग) कोचिंग संस्थान में सुविधाओं का विवरण		
16	फर्नीचर, बेंच / डेस्क	हाँ नहीं
17	प्रकाश व्यवस्था	हाँ नहीं
18	पीने योग्य पेयजल	हाँ नहीं
19	पुरुष और महिला के लिए अलग शौचालय	हाँ नहीं
20	अग्नि सुरक्षा उपाय	हाँ नहीं
21	चिकित्सा सहायता / प्राथमिक चिकित्सा	हाँ नहीं
22	पार्किंग की जगह	हाँ नहीं
23	पुस्तकालय / वाचनालय	हाँ नहीं
24	वाईफाई	हाँ नहीं
25	स्मार्टबोर्ड	हाँ नहीं
26	कंप्यूटर लैब	हाँ नहीं
27	छात्रावास	हाँ नहीं
28	कैंटीन इत्यादि	हाँ नहीं
(घ) अन्य विवरण		
29	क्या सभी कर्मचारियों के चरित्र और पूर्ववृत्त का पुलिस प्राधिकरण द्वारा सत्यापन किया गया है? (कृपया हाँ / नहीं पर निशान लगाएँ)	हाँ नहीं
30	कोचिंग संस्थान के भवन की प्रकृति (कृपया चिह्नित करें)	स्वयं का भवन पट्टे / किराए पर
31	क्या सक्षम प्राधिकारी से अग्नि प्रमाणपत्र प्राप्त किया गया है? (कृपया चिह्नित करें)	हाँ नहीं

32	क्या सक्षम प्राधिकारी से संरचना स्थिरता प्रमाणपत्र प्राप्त किया गया है? (कृपया चिह्नित करें)	हाँ ☐ नहीं ☐
33	क्या भवन विशेष रूप से सक्षम छात्रों के लिए बाधा मुक्त है?	हाँ ☐ नहीं ☐
(ङ) संलग्न/अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज, कोई दो (अनिवार्य)		
34	स्वत्वधारी के पहचान प्रमाण के लिए दस्तावेज (कृपया चिह्नित करें)	मतदाता पहचान पत्र ☐ आधारकार्ड ☐ पासपोर्ट ☐ ड्राईविंग लाईसेंस ☐ राशनकार्ड फोटो सहित ☐
35	स्वत्वधारी के निवास प्रमाण के लिए दस्तावेज (कृपया चिह्नित करें)	मतदाता पहचानपत्र ☐ आधार कार्ड ☐ पासपोर्ट ☐ ड्राईविंग लाईसेंस ☐ राशनकार्ड फोटो सहित ☐
36	संलग्न अनुबन्ध–1 (भरना/जमा करना अनिवार्य है)	कृपया अनुबन्ध संलग्न करें।

दिनांक

स्थान

स्वत्वधारी का हस्ताक्षर

भाग II

शपथ पत्र

[देखिए धारा 3 (4)]

मैं, ...पुत्र/पुत्री/पत्नी..............................आयु.................................वर्ष, निवासी................इसके द्वारा शपथ पूर्वक निम्नलिखित कथन करता/ करती हूँ:–

1. मैं इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन निजी कोचिंग संस्थान के पंजीकरण के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ।

2. मैंने **हरियाणा निजी कोचिंग संस्थानो का पंजीकरण और विनियमन अधिनियम, 2024** के अधीन सभी उपबंधों को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है और इसके द्वारा वचन देता/देती हूँ कि–

   (क) मैं केवल 'पंजीकृत कोचिंग संस्थान' शब्दों का प्रयोग करूँगा/करूंगी तथा किसी भी स्थान पर किसी भी साइनबोर्ड, प्रॉस्पेक्टस या पत्राचार या किसी भी प्रकार की संसूचना में 'मान्यता प्राप्त' या 'अनुमोदित' शब्दों का प्रयोग नहीं करूँगा/करूंगी;

   (ख) उन छात्रों जो संस्थाओं/विद्यालयों में भी पढ़ रहे हैं, के लिए कोचिंग कक्षाएं ऐसे विद्यालय या संस्थान के अध्ययन/ कार्यसमय के दौरान संचालित नहीं की जाएगी;

   (ग) शिक्षकों की अर्हताओं, कोचिंग कक्षा की समय–सारणी, फीस संरचना और सामान्य जानकारी, जैसा कि निर्दिष्ट किया गया है, वेबसाइट कोचिंग संस्थान के परिसर में प्रमुख स्थान पर, वेबसाइट और नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाएगी;

   (घ) निजी कोचिंग संस्थान में किसी भी रीति में स्वत्वधारी नियोजित कोई टयूटर या व्यक्ति नैतिक पतन से जुड़े किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया है और टयूटर के नियोजन में किसी भी बदलाव की सूचना तुरंत संबंधित जिला प्राधिकरण को दी जाएगी;

   (ङ) स्वत्वधारी कोचिंग कक्षा में प्रवेश दिए जाने वाले छात्रों की संख्या के संबंध में शर्त का पालन करेगा;

   (च) स्वत्वधारी अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों में दिए गए अन्य निबंधन और शर्तों का पालन करेगा;

3. मैं, इसके द्वारा, घोषणा करता/ करती हूँ कि आवेदन में प्रस्तुत जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार पूर्ण, सत्य और सही हैं। निजी कोचिंग संस्थान के पंजीकरण से या तो पहले या बाद में मेरी जानकारी झूठी या असत्य या भ्रामक पाए जाने के मामले में, मैं विधि के लागू उपबंधों के अधीन संबंधित जिला प्राधिकरण द्वारा समुचित कार्रवाई के लिए दायी हूँगा/ हूँगी।

4. मैं, घोषणा करता/ करती हूँ कि मेरे विरुद्ध पिछले संगठन में कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित या अनुध्यात नहीं है। मैं, आगे घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे विरूद्ध किसी भी न्यायालय में कोई विधिक मामला लंबित या अनुध्यात नहीं है।

स्थान................ अभिसाक्षी

दिनांक............

सत्यापन

मैं, उपर्युक्त अभिसाक्षी, इसके द्वारा, सत्यापित करता/करती हूँ और घोषणा करता/करती हूँ कि शपथपत्र की विषय–वस्तु मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसमें कोई भी महत्वपूर्ण बात छिपाई नहीं गई है।

स्थान............... अभिसाक्षी

दिनांक............

प्ररूप 2

[देखिए नियम 3 (3)]

पंजीकरण प्रमाण–पत्र

पंजीकरण संख्या ...., 2026 ....

मैं, प्रमाणित करता हूँ कि हरियाणा निजी कोचिंग संस्थानों का पंजीकरण और विनियम अधिनियम, 2024 (2024 का 12) में दिए गए उपबंधों के अनुसार .... के नाम से निजी कोचिंग संस्थान को दो हजार .... के .... दिन को हरियाणा में निजी कोचिंग संस्थान के रूप में पंजीकृत किया गया है।

यह पंजीकरण .... तक वैध रहेगा।

तिथिः
स्थानः

संबंधित जिला प्राधिकरण की मोहर तथा हस्ताक्षर

प्ररूप 3

[देखिए नियम 4 (3)]

पंजीकरण के नवीनीकरण का प्रमाण–पत्र

नवीनीकरण पंजीकरण संख्या ...., 2026 ....

यह प्रमाणित किया जाता है कि पंजीकरण संख्या .... दिनांक..................... के अधीन .... के नाम से प्रारम्भ में पंजीकृत निजी कोचिंग संस्थान का हरियाणा निजी कोचिंग संस्थानों का पंजीकरण और विनियमन अधिनियम, 2024 (2024 का 12) की धारा 5 की उप–धारा (7) के अधीन नवीनीकरण किया जाता है।

यह पंजीकरण .... तक वैध रहेगा।

तिथि : संबंधित जिला प्राधिकरण की मोहर तथा हस्ताक्षर

स्थानः

प्ररूप 4

[देखिए नियम 5]

निजी कोचिंग संस्थानों द्वारा रखे जाने वाले रिकॉर्ड का विवरण

1. निजी कोचिंग संस्थानों के भवन का पंजीकृत मालिकाना प्रमाण–पत्र या रजिस्टर्ड किरायानामा।
2. निजी कोचिंग संस्थान का कुल क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)।
3. निजी कोचिंग संस्थानों में नामांकित कुल बैचवार छात्र, जिसमें छात्रों के पंजीकरण फॉर्म भी शामिल है।
4. छात्रों का विवरण जिसमें आयु, योग्यता, कोचिंग बैच नंबर, पता, संपर्क संख्या, ईमेल आई डी, यदि पढ़ रहे हैं तो शैक्षणिक संस्थान का नाम इत्यादि शामिल है।
5. कोर्स पाठयक्रम का विवरण जिसमें अवधि और शुल्क शामिल है।
6. किसी भी कोर्स के दौरान छोड़ने की स्थिति में, शुल्क वापसी नीति का विवरण।
7. टयूटर का विवरण जिसमें आयु, योग्यता, अनुभव, पता, संपर्क संख्या, ईमेल आई0डी0, चरित्र सत्यापन आदि शामिल है।
8. कोचिंग बैच की समय सारणी।
9. संस्थान से कोचिंग लेने वाले छात्रों का विवरण, जिसमें उन छात्रों का विवरण भी शामिल है जो अंततः सफल हुए और जिनके लिए कोचिंग ली गई थी।
10. वेबसाईट का विवरण और अपडेट करने का समय अंतराल।
11. आपात स्थिति में छात्रों के लिए चिकित्सा सहायता/ उपचार सुविधा का विवरण
12. यदि कोई छात्रावास सुविधा है जो उसका विवरण, जिसमें छात्रावास शुल्क, में से शुल्क इत्यादि शामिल है।
13. छात्रों और कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए अपनाई गई प्रणाली का विवरण।
14. किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षित संस्थान के वार्षिक खाते।
15. जिला प्राधिकरण या अपीलीय प्राधिकरण द्वारा, समय–समय पर संस्थान को संप्रेषित किया गया कोई अन्य अभिलेख।

अपूर्व कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
उच्चतर शिक्षा विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

HIGHER EDUCATION DEPARTMENT

Notification

The 24th August, 2026

No. S.O. 44/H.A. 12/2024/S. 16/2026.— In exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 16 of the Haryana Registration and Regulation of Private Coaching Institutes Act, 2024 (12 of 2024), the Governor of Haryana hereby makes the following rules, namely:-

1. (1) These rules may be called the Haryana Private Coaching Institutes (Registration and Regulation) rules, 2026. Short title and commencement.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. (1) In these rules, unless the context otherwise requires,- Definitions.

(a) "Act" means the Haryana Registration and Regulation of Private Coaching Institutes Act, 2024 (12 of 2024).

(2) Words and expressions used in these rules but not defined herein shall have the same meaning as assigned to them in the Act.

3. (1) Every private coaching institute established prior or subsequent to the commencement of Act or any private coaching institute intending to establish a new coaching institute, shall apply on designated portal of the concerned District Authority in Form 1 (Part I and Part II) alongwith registration fee of ten thousand rupees payable through electronic mode. Registration certificate. section 5

(2) On receipt of application under sub-rule (1), the concerned District Authority shall scrutinize the application within a period of thirty days. If the application is found incomplete, the concerned District Authority shall inform the private coaching institute about such deficiencies in writing directing to remove the deficiencies within a period of ten days.

(3) If the concerned District Authority is satisfied that the application is complete in all respects, then it shall register the private coaching institute and issue a certificate of registration in Form 2 to the private coaching institute, which shall be valid for a period of three years.

4. (1) Every private coaching institute shall apply for renewal of registration certificate on the designated portal of the concerned District Authority prior to one month from the expiry of the registration certificate in Form I alongwith renewal fees of five thousand rupees payable through electronic mode. Renewal of registration certificate. section 7(5).

(2) On receipt of application under sub-rule (1), the concerned District Authority shall scrutinize the application within ten days. If the application is found incomplete, the concerned District Authority shall inform the private coaching institute about such deficiency in writing, directing to remove the defects within a period of ten days and if the private coaching institute does not complete the application or failed to remove the deficiencies, as the case may be, within stipulated period, then application shall be rejected:

Provided that the no application shall be rejected without giving the applicant reasonable opportunity of being heard.

(3) If the concerned District Authority is satisfied that the application is complete in all respects, then it shall issue a Renewal Certificate of registration in Form 3 to the private coaching institute within one month from the date of receipt of the application, which shall be valid for one year.

5. Every private coaching institute registered under the Act shall maintain the records in Form 4, and upload the same on its official website and shall furnish the requisite information in this regard to the concerned District Authority every year. Every Private Coaching Institute shall also be bound to furnish such other information, record as required by the concerned District Authority from time to time. Maintenance of records.

FORM 1

(see rule 3 (1) and 4(1))

PART I

APPLICATION FORM FOR REGISTRATION AND RENEWAL OF PRIVATE COACHING INSTITUTE

New Registration ☐ Renewal of Registration ☐

(please tick √ the relevant box)

Self Attested Passport size Photo of the Proprietor

(A)	**General Information:**	
1.	Name of Coaching Institute	
2.	Address of Coaching Institute with Tehsil/ District/ PIN Code	
3.	Contact Number of the Institute	
4.	E-mail of the Institute	
5.	Name and Address of the Proprietor	
6.	Contact Number of the Proprietor	
7.	Details of Courses/ curriculum	
8.	Number and capacity of class rooms in the Institute	
9.	Date of Establishment (if established before commencement of this Act)	
(B)	**The following information shall be enclosed while applying for registration of Private Coaching Institute**	
10.	Copy of prospectus mentioning different curriculum or part thereof duration of completion of curriculum with details of all types of fees including tuition fee, fee refund, easy exit and the number of lectures, tutorial, group discussions, test schedules etc.	Please enclose as form
11.	Number of maximum students for each class/ batch	Please enclose as annexure
12.	Educational Qualifications and biodata of teachers	Please enclose as annexure
13.	Bio-data of counselor	Please enclose as annexure
14.	Educational qualification and Bio-data of non-teaching staff	Please enclose as annexure
15.	Detail of the coaching area with ratio of the number of students	Please enclose as annexure
(C)	**Details of the facilities in the Coaching Institute (Please √ the relevant box)**	
16.	Furniture, bench/ desk	Yes ☐ No ☐
17.	Lighting arrangement	Yes ☐ No ☐
18.	Potable drinking water	Yes ☐ No ☐
19.	Separate Toilet for Male and Female	Yes ☐ No ☐
20.	Fire Safety Measures	Yes ☐ No ☐

21.	Medical Assistance/ First aid	Yes ☐	No ☐
22.	Parking space	Yes ☐	No ☐
23.	Library/ Reading room	Yes ☐	No ☐
24.	Wi-Fi	Yes ☐	No ☐
25.	Smart Board	Yes ☐	No ☐
26.	Computer Lab	Yes ☐	No ☐
27.	Hostel	Yes ☐	No ☐
28.	Canteen Facility	Yes ☐	No ☐
(D)	**Other details (Please √ the relevant box)**		
29.	Whether character and antecedents of all staff members verified by the Police Authority	Yes ☐	No ☐
30.	Nature of Building of Coaching Institute	Own Building ☐	On Lease/ Rent ☐
31.	Whether Fire Certificate obtained from competent authority	Yes ☐	No ☐
32.	Whether Structure Stability Certificate obtained from competent authority	Yes ☐	No ☐
33.	Whether building is barrier free for specially disabled students	Yes ☐	No ☐
(E)	**Document to be attached/ uploaded, (Please √ the relevant box)**		
34.	Documents for ID Proof of the Proprietor (Any two)	Voter ID Card ☐ Aadhar Card ☐ Passport ☐ Driving License ☐ Ration Card with photograph ☐	
35.	Documents for Residence proof of the Proprietor (Any one)	Voter ID Card ☐ Aadhar Card ☐ Passport ☐ Driving License ☐ Ration Card with photograph ☐	
36.	Attached form - I (Is mandatory to fill up/submit)	Please enclose as form	

Date:- Signature of Proprietor

Place:-

PART II

AFFIDAVIT

I…………………………………..Son/ Daughter/ wife of…………………………aged………………..years, resident of... do hereby solemnly affirm/ state on oath as under:

1. I am submitting my application for registration of Private Coaching Institute under this Act and rules framed there under.
2. I have carefully read all the provisions of **The Haryana Registration and Regulation of Private Coaching Institutes Act, 2024 (12 of 2024)** and the rules framed thereunder and I hereby undertake that-
   (a) I will use only the words 'registered coaching institute' and will not use the words 'Recognized' or 'Approved' on any signboard, prospectus, correspondence or communication of whatever nature at any place;
   (b) coaching classes for those students who are also studying in institutions/ schools will not be conducted during studying/working hours of such school or institution;
   (c) the qualifications of the tutors, time-table of the coaching class, the fee structure and general information, as specified, regarding the coaching class will be displayed on the website and notice board at prominent place in the premises of the coaching center;
   (d) I or any tutor or person employed, in any manner in the private coaching institute has not been convicted for any offence involving moral turpitude and that any change in employment of tutor shall be immediately intimated to the concerned District Authority ;
   (e) I shall abide by the conditions regarding the number of students to be admitted in the coaching class;
   (f) The Proprietor will comply with the other terms and conditions prescribed under the Act and the rules framed thereunder.
3. I hereby declare that the information furnished in the application are complete, true and correct to the best of my knowledge and belief. In the event of my information being found false or incorrect or misleading either before or after the registration of Private Coaching Institute, I will be liable for appropriate action by the concerned District Authority under the applicable provisions of Law.
4. I hereby declare that there is no disciplinary proceedings are pending or contemplated against me in the previous organization. I further declare that no legal proceedings is pending or contemplated against me in any court.

Place……………….

Date………………… Deponent

VERIFICATION

I, the above named deponent do hereby verify and declare that the content of the affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief, and no material fact has been concealed there from.

Place……………….

Date………………… Deponent

FORM 2

{see rule 3 (3)}

CERTIFICATE OF REGISTRATION

{see rule 3 (3)}

Registration No. ....20.............................

I, certify that in accordance with the provisions contained in **The Haryana Registration and Regulation of Private Coaching Institutes Act, 2024**,(12 of 2024) the Private Coaching Institute under the name of .... has been registered as a Private Coaching Institute in Haryana on this ....day of ....two thousand and ....

This Registration shall remain valid till ....

Date: .... Seal and Signature of the concerned District Authority

Place: Name..

FORM 3

{see rule 4 (3)}

CERTIFICATE OF RENEWAL OF REGISTRATION

Renewal Registration No......................................Date.............

This is to certify that the Private Coaching Institute named ....initially registered under registration No. ……………………. dated.......................... has been renewed under sub-section (7) of section 5 of the Haryana Registration and Regulation of Private Coaching Institutes Act, 2024 (12 of 2024)

This renewal shall be valid till ....

Place: ....

Seal and Signature of the concerned District Authority

Date: Name...

FORM 4

(see rule 5)

DETAILS OF RECORD TO BE MAINTAINED BY COACHING INSTITUTES

1. Registered ownership certificate or Registered rent agreement of the building of the Coaching Institute.
2. Total area of the Coaching Institute (in square meters).
3. Total batch-wise students enrolled in the Coaching Institute including registration forms of the students.
4. Details of students including age, qualification, coaching batch number, address, contact number, email ID, name of educational institute if studying etc.
5. Details of courses/curriculum including duration and fee.
6. Details of fee refund policy in case of exit during any course.
7. Details of tutors including age, qualification, experience, address, contact number, email ID, character verification etc.
8. Time-table of coaching batches.
9. Details of students undertaken coaching from the institute including the details of students finally successful for which coaching availed.
10. Details of website and time interval for updation.
11. Details of medical assistance/treatment facility for students in case of emergency.
12. Details of hostel facility if any including hostel charges, mess fee etc.
13. Details of mechanism adopted for the redressal of grievances of students and staff.
14. Annual accounts of the institute audited by any Chartered Accountant.
15. Any other record conveyed to the institute by the District Authority or Appellate Authority from time to time.

APOORVA KUMAR SINGH,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Higher Education Department.

12807—L.R.—H.G.P., Pkl.